

जारी
क्रमांक-03/11/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी, ललितपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, खीरी, बहराइच, अलीगढ़, गाजीपुर, मऊ, कुशीनगर,
संतकबीरनगर, वाराणसी, सीतापुर, पीलीभीत, बलरामपुर, बलिया, बरेली, बाराबंकी, जालौन, बस्ती,
चन्दौली, कानपुर देहात, बिजनौर, अम्बेडकरनगर, रामपुर, महोबा, हमीरपुर, मुरादाबाद, कानपुर शहर,
श्रावस्ती, हरदोई, गोण्डा, चित्रकूट, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मेरठ, उन्नाव,
बदायूं, भदोही एवं मुजफ्फरनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 03 नवम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों से प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 03.11.2021 तक फीड किये गये 8,27,451 प्रभावित कृषकों के सापेक्ष जनपदों द्वारा कुलरु० 2,82,02,57,858 (दो अरब बयासी करोड़ दो लाख सत्तावन हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र) की मांग की गयी है, जिसके सापेक्ष डाटा सत्यापित कर फीड किये गये 48 जनपदों के कुल 6,17,444 कृषकों को निम्न चार शासनादेशों संख्या-1724/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 21.10.2021, शासनादेश संख्या-1754/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 23.10.2021, शासनादेश संख्या-1766/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 26.10.2021 तथा शासनादेश संख्या-1779/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 29.10.2021 द्वारा कुल रु० 2,07,49,55,164 (दो अरब सात करोड़ उन्चास लाख पचपन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

2- अतः उक्त वर्णित स्थिति में अवशेष 2,08,793 कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 74,52,94,208/- (चौहत्तर करोड़ बावन लाख चौरानबे हजार दो सौ आठ) की धनराशि कालम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-4 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	कृषकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि रु० में।
1	2	3	4
1	झांसी	46005	160000379
2	ललितपुर	26080	135795903
3	सिद्धार्थ नगर	4070	15039161
4	गोरखपुर	5226	14445615
5	देवरिया	6425	14646270
6	खीरी	13558	67734389
7	बहराइच	16877	75115946
8	अलीगढ़	16505	57902756
9	गाजीपुर	3244	9998568
10	मऊ	2678	7709328
11	कुशी नगर	4974	10772251

12	संत कबीर नगर	54	566372
13	वाराणसी	281	1014139
14	सीतापुर	681	3177307
15	पीलीभीत	10021	22488772
16	बलरामपुर	4237	12604739
17	बलिया	55	24746
18	बरेली	11735	30657561
19	बाराबंकी	1525	4564701
20	जालौन	1112	3619426
21	बस्ती	2069	10630323
22	चंदौली	2121	7218239
23	कानपुर देहात	213	2326503
24	बिजनौर	73	433001
25	अम्बेडकर नगर	464	1466114
26	रामपुर	4098	19262072
27	महोबा	8409	15020618
28	हमीरपुर	289	791693
29	मुरादाबाद	5039	13006893
30	कानपुर शहर	1182	2649904
31	श्रावस्ती	101	953233
32	हरदोई	5034	11145506
33	गोंडा	132	377034
34	चित्रकूट	96	333757
35	सुल्तानपुर	276	791502
36	अमेठी	2195	5679118
37	आजमगढ़	321	2817474
38	कन्नौज	308	1106003
39	फर्रुखाबाद	42	89831
40	मेरठ	127	814899
41	उन्नाव	172	692925
42	बदायूं	95	302341
43	भदोही	105	113478
44	मुजफ्फर नगर	8	105195
कुल योग		2,08,793	74,52,94,208
(चौहत्तर करोड़ बावन लाख चौरानबे हजार दो सौ आठ)			

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त

किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic> पद पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3 - उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रु 74,52,94,208/- (चौहत्तर करोड़ बावन लाख चौरानबे हजार दो सौ आठ) वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक '2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Manaf 3.11.21

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 1790(1)/एक-10-2021-33(11)/2021, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संशोधन

संख्या-1797/एक-10-2021-33(11)/2021

प्रेषक,
रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,

झांसी, ललितपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, खीरी, बहराइच, अलीगढ़, गाजीपुर, मऊ, कुशीनगर, संतकबीरनगर, वाराणसी, सीतापुर, पीलीभीत, बलरामपुर, बलिया, बरेली, बाराबंकी, जालौन, बस्ती, चन्दौली, कानपुर देहात, बिजनौर, अम्बेडकरनगर, रामपुर, महोबा, हमीरपुर, मुरादाबाद, कानपुर शहर, श्रावस्ती, हरदोई, गोण्डा, चित्रकूट, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, भदोही एवं मुजफ्फरनगर।

राजस्व अनुभाग-10
2021

लखनऊ: दिनांक: ०८ नवम्बर,

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-10 के पत्र संख्या-1790/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 03.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 2,08,793 कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु बाढ़ मद में रु 74,52,94,208/- (चौहत्तर करोड़ बावन लाख चौरानबे हजार दो सौ आठ) की धनराशि उपर्युक्त जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखी गयी है।

2- निर्गत शासनादेश के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-3 में योग धनराशि रु 74,60,05,985/- के स्थान पर त्रुटिवश रु 74,52,94,208/- (चौहत्तर करोड़ बावन लाख चौरानबे हजार दो सौ आठ) अंकित हो गई है। अतः उक्त शासनादेश में योग की धनराशि रु 74,52,94,208/- के स्थान पर रु 74,60,05,985 (रुपये चौहत्तर करोड़ साठ लाख पांच हजार नौ पच्चासी) पढ़ा जाय।

3- उपरोक्त सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.2021 को संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 03.11.2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,


(रणवीर प्रसाद)
सचिव।
e

संख्या: 1790(1)/एक-10-2021-33(11)/2021, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Print Report**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-08/11/2021

प्रेषण संख्या:- 1797
आवंटन आदेश संख्या:- 133-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	105195 231195	105195 231195
2	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	814899 941449	814899 941449
3	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	57902756 109408811	57902756 109408811
4	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	30657561 38556013	30657561 38556013
5	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	433001 28440881	433001 28440881
6	बदायूं-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	302341 7302341	302341 7302341
7	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	13006893 22551399	13006893 22551399
8	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	22488772 59435296	22488772 59435296
9	रामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	19262072 25361076	19262072 25361076
10	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	89831 23039825	89831 23039825
11	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2649904 25486165	2649904 25486165
12	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	160000379 402998379	160000379 402998379
13	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3619426 54184784	3619426 54184784
14	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	791693 38936473	791693 38936473
15	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1014139 83528288	1014139 83528288
16	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9998568 127852707	9998568 127852707
17	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	24746 108823073	24746 108823073
18	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	14445615 467609910	14445615 467609910
19	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10630323 87045093	10630323 87045093
20	अजमेर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2817474 59898773	2817474 59898773
21	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	14646270 167340071	14646270 167340071

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
22	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	692925 6692925	692925 6692925
23	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3177307 115997846	3177307 115997846
24	हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	11145506 17754519	11145506 17754519
25	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	67734389 223216516	67734389 223216516
26	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	377034 72909338	377034 72909338
27	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	75115946 206886702	75115946 206886702
28	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	791502 6405829	791502 6405829
29	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4564701 88173461	4564701 88173461
30	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	135795903 300650415	135795903 300650415
31	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2326503 42617332	2326503 42617332
32	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7709328 155940412	7709328 155940412
33	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15039161 377486482	15039161 377486482
34	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15020618 18108754	15020618 18108754
35	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	113478 6266061	113478 6266061
36	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10772251 123964599	10772251 123964599
37	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1466114 27041598	1466114 27041598
38	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7218239 35787358	7218239 35787358
39	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	12604739 103167622	12604739 103167622
40	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	566372 112655465	566372 112655465
41	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1106003 1106003	1106003 1106003
42	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	953233 19242196	953233 19242196
43	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	333757 14193888	333757 14193888
44	अमेठी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5679118 6178509	5679118 6178509
	योग	वर्तमान प्रगामी	746005985 4021415832	746005985 4021415832

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया चौहत्तर करोड़ साठ लाख पाँच हजार नौ सौ पचासी
रूपया चार अरब दो करोड़ चौदह लाख पन्द्रह हजार आठ सौ बत्तीस

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।